डिस्कलेमर

आदेश संख्या 08/2026-27 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों (मुख पृष्ठ और पृष्ठ 76, 77 और 78) का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/बीकेएफएफ/एफएफ/कन्नूर/सीपी- II/2023-28

आदेश संख्या 08/2026-27

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल) के संबंध में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कन्नूर में फ्यूल फॉर्म और इंटो -प्लेन सेवाओं के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2023 – 31 मार्च, 2028) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 27 मई, 2026

तृतीय तल,
उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

11 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

अध्याय 2 : टैरिफ निर्धारित करने के लिए कार्य-प्रणाली

2.1.1 फ्यूल फॉर्म और आईटीपी सेवाओं के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए 'सिंगल टिल' आधार पर "कॉस्ट प्लस अप्रोच" अपनाना।

अध्याय 3 : प्रथम नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ट्रू-अप

3.24.1 तालिका 4 के अनुसार ईंधन थ्रू-पुट मात्रा को मानना।
3.24.2 तालिका 6 के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।
3.24.3 तालिका 10 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।
3.24.4 तालिका 12 के अनुसार आरएबी को मानना।
3.24.5 तालिका 14 के अनुसार एफआरओआर को मानना।
3.24.6 तालिका 17 में दिए गए विवरण के अनुसार ओ एंड एम खर्च को मानना।
3.24.7 तालिका 19 के अनुसार कराधान को मानना।
3.24.8 तालिका 21 के अनुसार एआरआर और कम वसूली को मानना तथा इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में समायोजित करना।

अध्याय 4: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन थ्रू-पुट (मात्रा)

4.6.1 बीकेएफएफपीएल के संबंध में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 25 के अनुसार ईंधन थ्रू-पुट अनुमान को मानना।
4.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक ईंधन थ्रू-पुट के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के संबंध में ईंधन थ्रू-पुट को ट्रूअप करना।

अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय, मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.9.1 तालिका 33 के अनुसार आरएबी के पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।
5.9.2 तालिका 34 के अनुसार मूल्यह्रास को मानना।
5.9.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय लागत कार्यक्षमता और वहन किए गए कैपेक्स के औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्रू-अप करना।
5.9.4 तालिका 35 के अनुसार औसत आरएबी को मानना।
5.9.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखकर आरएबी और औसत आरएबी को ट्रू-अप करना।

अध्याय 6 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

6.5.1 तालिका 37 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

6.5.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) या भारतीय स्टेट बैंक के एक (1) वर्ष के औसत एमसीएलआर, जो भी कम हो, को ध्यान में रखकर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय ऋण की लागत (एफआरओआर को टू-अप करने के प्रयोजन के लिए) को टू-अप करना।

अध्याय 7: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय

7.5.1 तालिका 44 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानना।

7.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को टू-अप करना।

अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

8.4.1 बीकेएफएएफपीएल के संबंध में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 47 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

8.4.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वैमानिक कर को टू-अप करना।

अध्याय 9 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

9.5.1 बीकेएफएएफपीएल के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 50 के अनुसार एआरआर को मानना।

9.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के एआरआर को टू-अप करना।

अध्याय 10 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

10.6.1 बीकेएफएएफपीएल के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के संबंध में तालिका 55 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

10.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

12 आदेश

प्राधिकरण के समक्ष रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

i बीकेएफएफपीएल को द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के संबंध में संलग्नक **-I** के अनुसार 01.06.2026 से फ्यूल फ़ार्म और इंटो-प्लेन सेवाओं के लिए संशोधित टैरिफ़ लागू करने की अनुमति दी जाती है।

ii इसमें अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

iii इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

iv मैसर्स बीकेएफएफपीएल प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक लेखा परीक्षा किए गए खातों के साथ वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

v हवाईअड्डा प्रचालक बीकेएफएफपीएल, कन्नूर के लिए अनुमोदित टैरिफ दरें सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

vi हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री मार्टिन जोस इमानुएल, सीएफओ,
बीपीसीएल केआईएएल, फ्यूल फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड,
कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
कन्नूर -670708

प्रतिलिपि सूचनार्थ;

1 सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, 'बी ब्लॉक', सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110003

2 हवाईअड्डा निदेशक, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, पो.ओ. मट्टानूर, कन्नूर - 670708, केरल